कार्यालय जिलाधिकारी, चित्रकूट।

आदेश

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या–8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति एवं शासनादेश संख्या–744/एक–1–2016–20(5)/2016, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 एवं राजस्व अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन लखनऊ से निर्गत शासनादेश संख्या–5/2023/प्र0रा0–53/एक–2023–रा0–1 दिनांक 15 मार्च 2023 तथा उ0प्र0 शासन अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पत्र संख्या–1050/87–अति0उ0स्रो0वि0/2023 दिनांक 03.08.2023 में निहित प्राविधानों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या–887/एक–1–2020–20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अभिषेक आनन्द, जिलाधिकारी चित्रकूट, अनुसूची के स्तम्भ 11 मे उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03.06.2016 के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	शासकीय भूमि का श्रेणीवार विवरण (है0 में)									प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
		श्रेणी–6 नवीन परती	श्रेणी–5 बंजर	श्रेणी–5 झाड़ी	श्रेणी–6 पथरीली भूमि	श्रेणी–6 भीटा	श्रेणी–6 पहाड़	श्रेणी–6 अकृषिक	कुल गाटा	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पतैनीमाफी	2.995	0.648	–	4.225	–	–	–	13किता	7.868	जनपद चित्रकूट तहसील मऊ मे 800 मेगावाट चित्रकूट सोलर पार्क की स्थापना हेतु रू0 1 प्रति एकड़/प्रति वर्ष के सांकेतिक मूल्य दर पर अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को 30 वर्ष के लिये पट्टे पर।
2	खरगडाह	12.012	22.723	–	–	0.070	149.219	–	73किता	184.024	
3	कटैयाडाडी	1.861	18.731	–	–	–	1.663	–	44किता	22.255	
4	मनकापतैनी	3.670	3.006						29किता	6.676	
5	बघोखर	0.709	0.682	–	0.814	–		–	08किता	2.205	
6	छरेहरा	1.221	1.472	–	18.687	–	–	–	23किता	21.380	
7	डोडियामाफी	0.009	0.204	–	27.852	–	25.007	–	35किता	53.072	
8	कोटवामाफी	5.593	0.097	–	–	–	–	–	19किता	5.690	
9	उसरीमाफी	-	17.122	–	–	–	–	–	07किता	17.122	
10	गाहुर	0.328	2.740	1.409	59.618	–	-	2.406	125किता	66.501	
	योग	28.398	67.425	1.409	111.196	0.070	175.889	2.406	376किता	386.793 अर्थात 955एकड़	

उक्तानुसार अंकित भूमि का विस्तृत विवरण इस आदेश के साथ संलग्न है, जो इस आदेश का अंग होगा। निदेशक, यूपीनेडा लखनऊ के पत्र संख्या–2711/यूपीनेडा–एसई/800मे0वा0चित्रकूट/टुस्को लि0/सरकारी भूमि लीज/2023 दिनांक 12.08.2023 के अन्तर्गत उक्त भूमि को लीज पर उपलब्ध कराने हेतु चालान से रू0 955/= जमा कराकर चालान की छायाप्रति उपलब्ध करायी जा चुकी है। अगले प्रत्येक वर्ष का रू0 955/= वार्षिक सांकेतिक मूल्य सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

संलग्नक- यथोक्त।

(अभिषेक आनन्द)
जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

संख्या–3915/भूमि व्यवस्था/2023 दिनांक: 22 अगस्त, 2023

संख्या एंव दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2–आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0, शासन लखनऊ।
3–आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा
4–निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5–उप जिलाधिकारी, मऊ को उपरोक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों मे उक्तानुसार अंकित कराने हेतु।
6–परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा, चित्रकूट।

(अभिषेक आनन्द)
जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

सेवा मे,

अपर मुख्य सचिव,
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन,
कक्ष सख्या–224, बापू भवन,
लखनऊ।

संख्या–4164 /भूमि व्यवस्था/2023 दिनांक: 06 जनवरी 2024 दिसम्बर,2023

विषय टीएचडीसीआईएल एवं यूपीनेडा के संयुक्त उपक्रम टुस्को लि0 द्वारा जनपद चित्रकूट में विकसित किये जा रहे 800 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क हेतु चिन्हांकित अतिरिक्त 05 ग्रामों की भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, यूपीनेडा, लखनऊ के पत्र संख्या–132/टुस्को/लखनऊ/सीईओ/2022–23 दिनांक 08.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयांकित परियोजना की स्थापना हेतु टुस्को लि0 द्वारा जनपद चित्रकूट में भ्रमण कर अतिरिक्त 05 ग्राम क्रमशः गोइंयाखुर्द, गोइयाकला, सेमरा, अतरी मजरा एव बरगढ तहसील मऊ की चिन्हित ग्राम सभा/सरकारी भूमि 305 एकड का अधिग्रहण अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत विभाग के पक्ष मे किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में उप जिलाधिकारी मऊ द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु तहसील मऊ के 05 ग्रामों की शासकीय भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क्र0 स0	ग्राम का नाम	प्रस्तावित शासकीय भूमि का श्रेणीवार विवरण (हे0 में)						माल गुजारी का 150 गुना पंजीकृत
		श्रेणी–5 नवीन परती	श्रेणी–5 बजर	श्रेणी–4 सीलिंग	श्रेणी–6 पथरीली भूमि	कुल गाटा	कुल रकबा	
1	अतरी मजरा	–	–	9.496	–	09किता	9.496	23,925
2	सेमरा	–	38.524	–	0.490	25किता	39.014	97,005
3	गोइया कला	3.744	–	5.127	–	11किता	8.871	22,185
4	गोइया खुर्द	5.974	4.309	20.928	–	53किता	31.211	77,865
5	बरगढ	15.290	1.607	–	13.787	35किता	30.684	76,560
	योग	25.008	44.440	35.551	14.277	133किता	119.276	2,97,540

उप जिलाधिकारी मऊ द्वारा उक्तानुसार प्रत्येक ग्राम का अलग–अलग प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है तथा प्रस्ताव में यह अंकित किया गया है कि प्रस्तावित भूमि उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा–77 से आच्छादित नही हं। प्रस्तावित भूमि पर किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है।

उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–1, के शासनादेश सं0 (कार्यालय ज्ञाप संशोधन) 5/2023/प्र0स0–53/एक–1–2023–रा0–01, लखनऊ दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश सं0–6/2023/16(1)/ एक–1–2023–रा0–1, लखनऊ दिनांक 15.03.2023 में उल्लिखत है कि "उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति–2023 से आच्छादित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा–77(1) की भूमियों को छोंडकर धारा–59 की उपधारा–2 के खण्ड–(एक) (तीन) तथा (चार) की भूमि को 1 रूपये प्रति एकड साकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिये पट्टे पर प्रशासनिक विभाग के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जो अपने स्तर से परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) का उपलब्ध कराया जायेगा।"

उप जिलाधिकारी मऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार उपरोक्त भूमि का सांकेतिक मूल्य रकबा 119.276हे0/294.61 अर्थात 295 एकड ×दर प्रति एकड = कुल सांकेतिक मूल्य 295.00×1.00=295.00(दो सौ पंचानवे रूपया मात्र) देय होगा।

अतः शासनादेश दिनांक 15.03.2023 में निहित व्यवस्थान्तर्गत उपरोक्तानुसार भूमि को 30 वर्ष के लिये पट्टे पर दिये जाने हेतु 01 रूपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य रू0 295.00 वार्षिक किराया लेखा शीर्षक "0029–भूराजस्व–800 –अन्य प्राप्तियां–08–मालकाना–राजस्व–0806 प्रकीर्ण प्राप्तियां" में जमा कराकर चालान की मूल प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। ताकि उक्तानुसार चिन्हित भूमि को 30 वर्ष के लिये अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन को पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अभिषेक आनन्द)
जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त, महोदय चित्रकूटधाम मण्डल बांदा को सादर अवलोकनार्थ।
2–निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय, ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, टुस्को लि0 लखनऊ।
4– परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा, चित्रकूट।

(अभिषेक आनन्द)
जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

N

To NEDA LEASE RENT

₹295

800 MW UMREPP CHITRAKOOT LEASE RENT FOR GOVERNMENT LAND

Pay again

Split with friends

Completed

16 Jan 2024 12:57 pm

Punjab National Bank 2344

UPI transaction ID
401684497329

To
••••0519

From: HARSH BANSAL (Punjab National Bank)
harsh21495-1@okhdfcbank

Google Transaction ID
CICAgLCCsZG-Jw

Powered by UPI